होटलों के निर्माण की नई गाइड लाइन जारी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश सरकार ने राज्य में होटलों के निर्माण के लिए नई गाइड लाइन जारी की है। अपर मुख्य सचिव डा. नितिन रमेश गोकर्ण की ओर से इस बाबत आवास आयुक्त, सभी विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, विशेष क्षेत्र के विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष को निर्देश जारी किए गए हैं।

- कमरों की संख्या कम से कम छह होगी
- 21 से ज्यादा हुए तो 500 वर्गमी न्यूनतम क्षेत्रफल

इन निर्देशों में कहा गया है कि होटल में कमरों की कम से कम संख्या छह होगी। छह से 20 कमरों के होटल के लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि की अपेक्षाओं का अनुपालन करने की स्थिति में न्यूनतम क्षेत्रफल की बाध्यता नहीं होगी। मगर कमरों की संख्या 21 से अधिक होने पर होटल के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर होगा।

होटल की अनुमन्यता महायोजना जोनिंग रेगुलेशंस के अनुसार होगी। मगर नियोजित रूप से विकसित कालोनियों में, आवासीय भूखंडों पर होटल का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। आवासीय क्षेत्रों में 20 कमरों तक के होटल के लिए पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई नौ मीटर तथा 20 कमरों से अधिक के होटल के लिए 12 मीटर जबकि गैर आवासीय क्षेत्र में सभी तरह के होटल के लिए पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर होगी।